परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक :–~~2064~~ 663 / एलएएस / 2019–~~1210~~ / एलएएस / 2019 दिनांक–15/01/2020

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
   उ0प्र0 परिवहन निगम

2. प्रबन्धक (कार सेक्शन)
   परिवहन निगम मुख्यालय,
   लखनऊ।

3. समस्त सहायक विधि अधिकारी /
   सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (का0)
   उ0प्र0 परिवहन निगम

विषय :–मोटर दुर्घटना वादों की पैरवी किये जाने हेतु मानक प्रणाली प्रक्रिया।

निर्णयों की समीक्षा करने पर संज्ञान में आया है कि मोटर दुर्घटना क्लेम मामलों की पैरवी में निम्न प्रकार से सुधार लाये जाने की आवश्यकता है :–

1) मोटर दुर्घटना मामलों में सम्बन्धित डिपो द्वारा जवाबदावा / लिखित कथन तैयार करने हेतु अत्यन्त संक्षिप्त विवरण अधिवक्ता को दिया जाता है, जिसमें मामले के सभी तथ्य समाहित न होने के कारण जवाबदावा में कमियॉ रह जाती है, जिस कारण सभी बिन्दुओं पर गुण–दोष के आधार पर मामला कन्टेस्ट नही हो पाता है। जिससे निगम हित प्रभावित होता है। अतः मोटर दुर्घटना मामलों में जवाबदावा तैयार कराने हेतु विस्तृत आख्या / वी0टी0एस0 रिपोर्ट एवं अन्य सूसंगत दस्तावेजी साक्ष्य जैसे निगम की ओर से दाखिल की गई एफ0आईआर0 दुर्घटनाग्रस्त वाहन की तकनीकी रिपोर्ट , नक्शा–नजरी, चालक–परिचालक का बयान, दुर्घटना प्रारुप में अंकित किया गया विवरण इत्यादि अधिवक्ता को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

2) जवाबदावे पर हस्ताक्षर करने के पूर्व क्षेत्रीय प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि डिपो से जो आख्या प्रेषित की गई है, उसके अनुसार समस्त आवश्यक तर्क अधिवक्ता द्वारा लिखित कथन में समाहित हुए है, यदि सतही तौर पर जवाबदावा दाखिल कराया जाता है तो क्षेत्रीय प्रबन्धक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3) जिन दावों में दो वाहनो के मध्य दुर्घटना होना स्वीकार की जाती है। ऐसे मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार योगदायी उपेक्षा / सहदायी उपेक्षा का तर्क न्यायालय के उचित प्रक्रम पर अवश्य उठाया जाये और वाद बिन्दु भी सृजित कराया जाये। आवश्यकतानुसार बचाव में रेस इप्सा लोक्यूटर (Things speak itself) तथा दुर्घटना मे बचाव का अन्तिम अवसर (Last opportunity to avoid accident) का तर्क भी दिया जाय।

4) मृतक/घायल यदि स्वयं वाहन चला रहा है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस पत्रावली पर दाखिल कराया जाये अथवा जिस वाहन पर वह यात्रा कर रहा है, उस चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स पत्रावली पर अवश्य दाखिल कराया जाये तथा साक्षी से इस बिन्दु पर विस्तार से प्रतिपृच्छा की जाय।

5) सहायक विधि अधिकारी एवं अधिवक्ता के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओ पर भी विशेष ध्यान दिया जाये :–

(क) याची के घायल होने की दशा में –

अ) घायल सम्बन्धी मामलो में यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि घायल को इलाज हेतु प्रथम बार जिस अस्पताल में ले जाया गया है, उस अस्पताल की प्राथमिक इंजरी रिपोर्ट दाखिल है अथवा नही। प्रथम बार चिकित्सालय में इलाज हेतु जाने की दशा में चिकित्सीय आख्या को पत्रावली पर दाखिल कराया जाय।

ब) घायल की अस्थि भंग होने की दशा में एक्सरे रिपोर्ट/एक्सरे प्लेट, एमआरआई/सिटी स्केन की रिपोर्ट/प्लेट का दाखिल कराया जाय।

स) याची की आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल प्रमाणपत्र/आधार कार्ड/पेन कार्ड/ निर्वाचन परिचय पत्र आदि की सत्यापित प्रति पत्रावली में दाखिल कराया जाय।

द) आय के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य होने की दशा में उससे सम्बन्धित विभागीय अभिलेख पर विस्तार रुप से प्रतिपरीक्षा किया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

य) चिकित्सीय व्यय के सम्बन्ध में दाखिल व्यय के बिलो की गणना कर उनके सम्बन्ध में विस्तार से प्रतिपृच्छा किया जाय।

व) घायल/चुटहिल से सम्बन्धित मामलो में याची को हुई शारीरिक उपहति/ फ्रैक्चर जिसके आधार पर अस्थायी/स्थायी विकलांगता का दावा किया जा रहा है, से सम्बन्धित एक्स–रे, सी0टी0स्कैन अथवा एम0आर0आई से सम्बन्धित प्लेट/रिपोर्ट पत्रावली में दाखिल कराया जाय।

(ख) दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में–

अ) मृत्यु/घायल सम्बन्धी मामलो में दुर्घटना के समय मृतक/घायल की आयु की पुष्टि हेतु हाईस्कूल प्रमाणपत्र/आधार कार्ड/पेन कार्ड/ निर्वाचन परिचय पत्र जैसे मान्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रति पत्रावली में दाखिल नही है तो उसे याची की ओर से दाखिल कराये जाने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जाय।

ब) मृतक/घायल की आय के सम्बन्ध में किये गए दावे से सम्बन्धित आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत कराया जाय। यदि आय से सम्बन्धित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नही है तो आय के सम्बन्ध में किये जा रहे दावे से सम्बन्धित

प्रत्येक बिन्दु पर विस्तार से जिरह की जाय। आय के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य होने की दशा में साक्षी से सम्बन्धित विभागीय अभिलेख पर विस्तार रुप से प्रतिपरीक्षा की जाय।

स) सहायक विधि अधिकारी, पैनल अधिवक्ता अथवा जिन अधिवक्ताओं को कार्य आवंटित किए गए है, को अपने स्तर से यह निर्देशित करें कि जिन बिन्दुओं के सम्बन्ध में न्यायालय में तर्क लिया जाना है, उन बिन्दुओं को विचारण के प्रक्रम पर ही न्यायालय के समक्ष तर्क लिया जाय तथा उन बिन्दुओं को साबित किये जाने हेतु बेहतर से बेहतर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

6) मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरणों, विशेष रुप से दिल्ली स्थित दुर्घटना अधिकरणों के समक्ष दायर होने वाले प्रतिकर वादों के सम्बन्ध मे यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि याची को सम्बन्धित अधिकरण में याचिका दाखिल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है अथवा नही। इस आशय का आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्य मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाये तथा आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक आपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

7) मामले के सही निस्तारण हेतु निगम के हित में मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था, निगम की ओर से पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करायी जाय तथा सहायक विधि अधिकारी द्वारा मुख्यालय को राय प्रेषित करते समय दाखिल की गई विधिक व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

8) न्यायालय में विचाराधीन मामले पर सहायक विधि अधिकारी/ पैरोकार के माध्यम से समय–समय पर देखा जाय कि अधिवक्ता द्वारा सही ढ़ग से पैरवी की जा रही है अथवा नही। उपेक्षापूर्ण पैरवी किये जाने पर मुख्यालय को तत्काल सूचित किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिवक्ताओं को अनुपालनार्थ प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 निजी सचिव अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2 निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3 समस्त विधि सहायक परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
4 गार्ड फाईल।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक